RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
नवम्बर
30
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

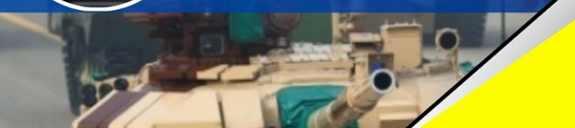

By Ankit Avasthi Sir

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25/ Global Salary Report 2024-25

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी वैश्विक वेतन रिपोर्ट (2024-25) दुनिया भर में मजदूरी के रुझानों, असमानता, और वास्तविक मजदूरी वृद्धि पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट श्रम बाजार की चुनौतियों और समाधान पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मुख्य निष्कर्ष:

वेतन वृद्धि के रुझान:

1. **वैश्विक परिदृश्य**: 2022 में गिरावट के बाद, 2023 में वैश्विक वास्तविक मजदूरी वृद्धि में सुधार हुआ।
2. **क्षेत्रीय रुझान**:
    - **तेजी से वृद्धि**: एशिया-प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया, और पूर्वी यूरोप।
    - अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ मजदूरी वृद्धि अधिक है।
3. **भारत का संदर्भ**: लगभग **9.5% भारतीय श्रमिक** कम वेतन वाले श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं।

श्रम आय असमानता के रुझान:

1. **वैश्विक वेतन असमानता**:
    - असमानता में कुल मिलाकर **गिरावट** का रुझान देखा गया।
    - निम्न आय वाले देशों में यह सबसे अधिक है।
    - उच्च आय वाले देशों में असमानता अपेक्षाकृत कम है।
2. **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था**:
    - मजदूरी वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का अधिक प्रतिनिधित्व।
    - औपचारिक रोजगार सृजन की कमी से अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि।
3. **श्रम उत्पादकता (1999-2024)**: उच्च आय वाले देशों में श्रम उत्पादकता वृद्धि, वास्तविक मजदूरी वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी।

आगे बढ़ने का रास्ता:

1. **अनुसंधान में वृद्धि**: असमानता के बदलाव को मापने के लिए बेहतर डेटा और सांख्यिकी का उपयोग।
2. **राष्ट्रीय रणनीतियाँ**:
    - मजदूरी निर्धारण में आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
    - **लैंगिक समानता** और **गैर-भेदभाव** को प्राथमिकता दी जाए।
3. **आय का पुनर्वितरण**:
    - कर और सामाजिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से।
    - उत्पादकता बढ़ाने, सभ्य कार्य सुनिश्चित करने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनाई जाएं।

- **पाल्मा अनुपात**: असमानता का एक माप।
    - यह वेतन वितरण के **शीर्ष 10%** और **निचले 40%** के प्रति घंटा वेतन के कुल हिस्से के अनुपात से मापा जाता है।

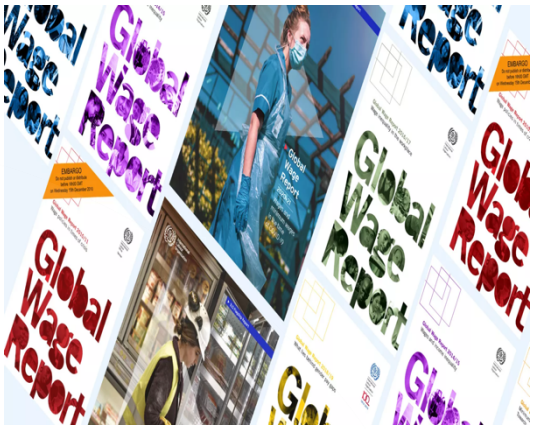

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक वैश्विक संस्था है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करना है। ILO के संस्थापक मिशन के अनुसार, "श्रम शांति" समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। ILO का मानना है कि जब श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, तब ही सामाजिक और आर्थिक शांति, समृद्धि और प्रगति संभव हो सकती है।

ILO का इतिहास और उद्देश्य:

- **स्थापना:** ILO की स्थापना 1919 में वर्सेल्स की संधि के तहत की गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने का प्रयास था।
- **संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा:** 1946 में, ILO संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशेष एजेंसी बन गया।
- **प्रेरणा:** ILO का मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब यह **सामाजिक न्याय** पर आधारित हो।

ILO का त्रिपक्षीय ढांचा:

ILO की विशेषता इसकी **त्रिपक्षीय संरचना** है, जिसमें तीन प्रमुख पक्षों की समान भागीदारी होती है:

1. **श्रमिक (Workers)**
2. **नियोक्ता (Employers)**
3. **सरकार (Governments)**

'एकलव्य' ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म/ 'Eklavya' online digital platform

भारतीय सेना ने **'एकलव्य' ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म** का शुभारंभ किया है, जो आधुनिक और प्रौद्योगिकी-समर्थित सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्लेटफॉर्म सेना के प्रशिक्षण को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अधिकारियों को आधुनिक युद्ध कौशल और व्यावसायिक विकास के लिए तैयार करने का उद्देश्य रखता है।

एकलव्य की प्रमुख विशेषताएं:

1. **विकास और होस्टिंग:**
   - **सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय** के तत्वावधान में विकसित।
   - **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N)** द्वारा **शून्य लागत** पर बनाया गया।
   - आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया, जिससे यह पूरी तरह से सुरक्षित और स्केलेबल है।
2. **एकीकृत आर्किटेक्चर:**
   - सेना के सभी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को सहजता से जोड़ने में सक्षम।
   - 17 श्रेणी 'ए' प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा अब तक **96 पाठ्यक्रम** प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।
3. **पाठ्यक्रम श्रेणियां:**
   - **प्री-कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल**:
     - ऑफलाइन पाठ्यक्रमों से पहले मूलभूत ज्ञान ऑनलाइन उपलब्ध।
     - उभरते विषयों को जोड़ने के लिए दस्तावेजी पाठ्यक्रमों में अधिक समय उपलब्ध कराना।
   - **विशिष्ट असाइनमेंट-संबंधी पाठ्यक्रम**:
     - नियुक्तियों से संबंधित कौशल को कार्यस्थल पर तैनाती से पहले ऑनलाइन सीखने की सुविधा।
     - सूचना युद्ध, वित्तीय योजना, अनुशासन, सतर्कता आदि के लिए उपयोगी।
   - **प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट**: रणनीति, नेतृत्व, उभरती प्रौद्योगिकी, पावर राइटिंग और संगठनात्मक व्यवहार पर पाठ्यक्रम।
4. **नॉलेज हाईवे:**
   - खोज योग्य सामग्री जैसे शोध पत्र, पत्रिकाएं और लेख एक ही प्लेटफॉर्म पर।
   - सतत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा को बढ़ावा।
5. **पंजीकरण की स्वतंत्रता:**
   - अधिकारी किसी भी समय, सेवा के किसी भी चरण में, अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
   - ऑनलाइन और दस्तावेजी पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग पंजीकरण की सुविधा।

निष्कर्ष: 'एकलव्य' प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को आधुनिक तकनीकी युग में एक कदम आगे ले जाने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। यह प्लेटफॉर्म न केवल प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बल्कि अधिकारियों को भविष्य के लिए अधिक सक्षम और कुशल बनाएगा।

एकलव्य के लाभ:

1. **प्रशिक्षण में सुधार:**
   - आधुनिक युद्ध की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण।
   - अधिक समकालीन विषयों को शामिल करने की क्षमता।
2. **डोमेन विशेषज्ञता:** अधिकारियों को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और बेहतर नियोजन में मदद।
3. **प्रोफेशनल विकास:** नेतृत्व, रणनीति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अधिकारी कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।
4. **सतत शिक्षा:** सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री तक निरंतर पहुंच।
5. **समय और संसाधन की बचत:** दस्तावेजी पाठ्यक्रमों को कम करना और ऑनलाइन माध्यम से व्यापक पहुंच।

अमृत 2.0 योजना/ Amrit 2.0 scheme

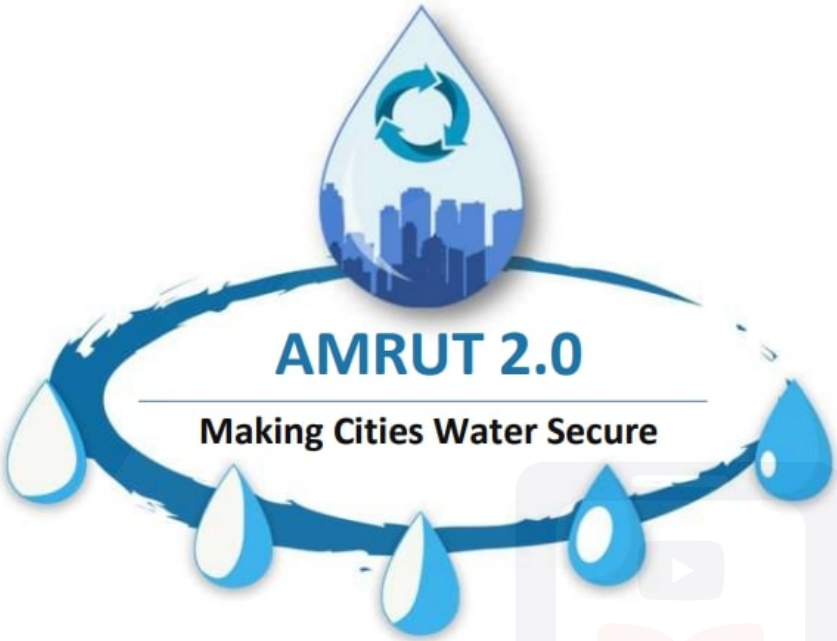

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना का उद्देश्य भारतीय शहरों को जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, और आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्षम बनाना है। यह मिशन 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए ₹2,99,000 करोड़ के परिव्यय के साथ पांच वर्षों में ₹76,760 करोड़ की केंद्रीय भागीदारी का प्रावधान है।

मुख्य लक्ष्य और प्राथमिकताएँ:

1. **सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन**: 500 अमृत शहरों में इस क्षेत्र की सार्वभौमिक कवरेज।
2. **जल निकायों का कायाकल्प**: पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण।
3. **हरित क्षेत्र और पार्कों का विकास**: शहरी हरित स्थानों को बढ़ावा देना।
4. **प्रौद्योगिकी उप-मिशन**: जल प्रबंधन में नवीनतम तकनीकों का उपयोग।

परियोजनाओं की प्रगति और फंड आवंटन:

- **8,998 परियोजनाओं की स्वीकृति**: ₹1,89,458.55 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- **राज्य जल कार्य योजना (SWAP)**: मिशन के तहत परियोजनाओं की योजना और मंजूरी की जिम्मेदारी राज्यों पर है।
- **फंड आवंटन और उपयोग**:
  - ₹11,756.13 करोड़ की राशि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई।
  - ₹6,539.45 करोड़ के उपयोग की जानकारी प्राप्त हुई।
  - ₹23,016.30 करोड़ की परियोजनाएँ भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं।
- **डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट)**: 1,198 परियोजनाएँ डीपीआर चरण में हैं।

परियोजनाओं की श्रेणियाँ और निगरानी:

1. **लंबी अवधि वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ**: जल प्रबंधन और स्वच्छता को प्राथमिकता।
2. **निगरानी और मूल्यांकन**:
   - **राज्य स्तर पर प्रबंधन**: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति (SHPSC) और तकनीकी समिति (SLTC) का गठन।
   - **मिशन की शीर्ष समिति**: समग्र योजना की समीक्षा।
   - **स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (IRMA)**: प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट के आधार पर धनराशि का निर्गमन।
3. **ऑनलाइन पोर्टल**: प्रगति को ट्रैक करने और डेटा साझा करने के लिए समर्पित पोर्टल।

चुनौतियाँ और समाधान:

- **चुनौतियाँ**:
  - धीमी गति से डीपीआर तैयार करना।
  - कुछ राज्यों में स्वीकृत केंद्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाना।
- **समाधान**:
  - कार्यान्वयन तेज़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा और मार्गदर्शन।
  - राज्यों के साथ वेबिनार, कार्यशालाएँ, और क्षेत्रीय निरीक्षण।

ई-कोर्ट परियोजना/ E-Courts Project

ई-कोर्ट परियोजना भारत की न्यायपालिका में **डिजिटल परिवर्तन** और न्याय तक **सुलभता** को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे न्याय विभाग और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना** के तहत न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास के लिए तैयार की गई है।

ई-कोर्ट परियोजना का विकास:

1. **पहला चरण (2011-2015):**
    - **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत**: 488 न्यायालय परिसरों और 342 जेलों को जोड़ा गया।
    - **मूलभूत आईसीटी ढांचा**:
        1. न्यायालयों में आईसीटी का उपयोग शुरू हुआ।
        2. डिजिटल केस रिकॉर्डिंग की सुविधा।
2. **दूसरा चरण (2015-2023):**
    - **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का विस्तार**:
        1. तालुक स्तर के सभी न्यायालय परिसरों में वीसी उपकरण प्रदान किए गए।
        2. 14,443 अदालत कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण।
        3. 2,506 वीसी केबिन स्थापित।
    - **सतर्कता केंद्र सुविधाएं**: 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों के बीच सतर्कता केंद्र स्थापित।
3. **ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण (2023-2027):** सितंबर 2023 में **₹7,210 करोड़** के बजटीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट के चरण III को स्वीकृति प्रदान की गई।

परियोजना का प्रभाव:

- **समय और संसाधनों की बचत**: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ और सुलभ बनाया।
- **नागरिकों के लिए सशक्तिकरण**: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने **पारदर्शिता** बढ़ाई और दूरदराज़ के इलाकों में रहने वालों के लिए न्याय तक पहुंच आसान की।
- **सुधारात्मक न्यायिक प्रबंधन**: चरण III के माध्यम से न्यायपालिका में **डिजिटल गवर्नेंस** को सुदृढ़ किया जाएगा।

भविष्य की दृष्टि:

ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप **डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी** बनाना है। चरण III की सफलता से न्यायिक कार्यों में **पारदर्शिता, दक्षता, और नागरिक सहभागिता** में सुधार होगा, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक **विश्वसनीय और उत्तरदायी** बनेगी।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना**:
    - 10,200 प्रतिष्ठानों (500 जेल, 700 जिला सरकारी अस्पताल, 9,000 अदालतें) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना का उन्नयन।
    - न्यायपालिका के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
2. **सुलभता में सुधार**:
    - न्यायिक प्रक्रिया को **डिजिटल रूप से सक्षम** बनाना।
    - नागरिकों और अधिवक्ताओं के लिए न्याय तक आसान पहुँच।
3. **ई-फाइलिंग और केस ट्रैकिंग**:
    - मुकदमों की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी।
    - ई-फाइलिंग और दस्तावेज़ों का डिजिटल प्रबंधन।
4. **समावेशी न्याय प्रणाली**: न्यायपालिका को सभी के लिए अधिक **सुलभ, कुशल और पारदर्शी** बनाना।
5. **ग्रीन कोर्ट पहल**: कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा।

भारत के चुनाव आयोग को मजबूत बनाना/ Strengthening the Election Commission of India

हाल ही में, मतदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाने और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह आवश्यकता विशेष रूप से चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **संविधानिक निकाय**: भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना था।
- **अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार**: चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- **शक्तियां और कार्य**: चुनाव आयोग को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर जिम्मेदारी रखता है।
- **संरचना**: चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अधिकतम दो चुनाव आयुक्त होते हैं। सभी सदस्य समान शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ कार्य करते हैं।
- **नियुक्ति प्रक्रिया**: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं।
- **कार्यकाल और शर्तें**: चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **निष्कासन**: मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही निष्कासित किया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख संवैधानिक लेख:

- **अनुच्छेद 324**: चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 325**: यह धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव को निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 326**: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 329**: यह चुनावों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को निषेध करता है, केवल निर्वाचन याचिकाओं के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता:

1. **चुनाव वित्तपोषण पारदर्शिता**: राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर स्वतंत्र ऑडिट और राज्य वित्तपोषण की व्यवस्था लागू करना।
2. **निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया**: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
3. **अपराधीकरण पर रोक**: गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना।
4. **मतदाता शिक्षा और उम्मीदवारों की पारदर्शिता**: मतदाता को शिक्षा देना और उम्मीदवारों के खुलासों में पारदर्शिता लाना।
5. **धन असमानताओं को सीमित करना**: उम्मीदवारों के व्यय पर कठोर सीमा लागू करना और चुनावी खर्चों का ऑडिट करना।
6. **दलबदल विरोधी कानून में सुधार**: राजनीतिक दलबदल और खरीद-फरोख्त के खिलाफ सख्त दंड लागू करना।

भारत की चुनाव प्रणाली में प्रमुख मुद्दे:

1. **मतदाता मतदान में गिरावट**: जागरूकता की कमी, संस्थागत बाधाएं और राजनीतिक मोहभंग के कारण मतदान में कमी आ रही है।
2. **चुनावी हिंसा**: चुनावों के दौरान हिंसा और धमकियाँ मतदान प्रक्रिया को बाधित करती हैं, खासकर ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में।
3. **गलत सूचना और मीडिया का शोषण**: सोशल मीडिया सहित मीडिया का हेरफेर मतदाताओं को विभाजित करता है और चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है।
4. **लैंगिक असमानता**: महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिससे उनके राजनीतिक अधिकारों की हनन होती है।
5. **काले धन का प्रयोग**: अनियमित चुनावी वित्तपोषण के कारण काले धन का प्रभाव बढ़ता है।
6. **राजनीतिक अपराधीकरण**: 2024 के चुनावों में 46% निर्वाचित सदस्य पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
7. **दलबदल**: दलबदल विरोधी कानून के बावजूद राजनीतिक दलबदल की समस्या बनी रहती है।

अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी/ Auction of Offshore Mineral Blocks

भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय ने अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली किस्त शुरू की है। यह कदम भारत के अपतटीय खनिज संसाधनों का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

अपतटीय खनन नीलामी के मुख्य विवरण:

- **खनिज ब्लॉक:** इस नीलामी में अरब सागर और अंडमान सागर में फैले 13 खनिज ब्लॉकों को शामिल किया गया है।
- **खनिज के प्रकार और संबंधित क्षेत्र:**
  - **निर्माण रेत:** केरल के तट पर अरब सागर में।
  - **चूना-कीचड़:** गुजरात के तट पर अरब सागर में।
  - **बहुधात्विक पिंड और क्रस्ट:** ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के तट पर अंडमान सागर में।

अपतटीय खनन या गहरे समुद्र में खनन:

यह प्रक्रिया समुद्र तल से 200 मीटर या उससे अधिक गहराई पर खनिज भंडार को पुन: प्राप्त करने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने लगभग छह लाख वर्ग किलोमीटर के अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है, जिसमें अपतटीय खनन की संभावना है।

भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्व:

- भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ मृदा तत्व** शामिल हैं, जो विकास के लिए आवश्यक हैं।
- **अपतटीय खनन से खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी,** जिससे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आएगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ये खनिज **बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च तकनीक विनिर्माण, और हरित ऊर्जा परिवर्तन** के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपतटीय खनन में चुनौतियाँ:

- **निजी भागीदारी का अभाव:** अपतटीय खनन के क्षेत्र में निवेश और विशेषज्ञता की कमी है।
- **कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता:** अपतटीय खनन के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीकी कौशल और भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, आवास का विनाश, और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना होती है।

अपतटीय खनन के लिए उठाए गए कदम:

1. **राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा भंडार (एनजीडीआर) पोर्टल:** जीएसआई द्वारा अन्वेषण डेटा को कवर करने वाला पोर्टल।
2. **गहरे महासागर मिशन:** पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (कई धातुओं से बने खनिजों) का अन्वेषण और निष्कर्षण।
3. **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2024:** अन्वेषण के चरणों, खनिज संसाधनों और भंडारों के वर्गीकरण को परिभाषित करने वाले नियम।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) क्या है?

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) समुद्र के एक ऐसे हिस्से को कहा जाता है जो तटीय देशों के समुद्री क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील (लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला होता है। इसे **संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून सम्मेलन (UNCLOS)** द्वारा परिभाषित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **संसाधनों का दोहन:** EEZ में तटीय राज्य को समुद्र के भीतर के **जीवित (जैसे मछली) और निर्जीव (जैसे खनिज, तेल) संसाधनों** का **खोज** और **दोहन** करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।
2. **प्रबंधन और रक्षा:** राज्य को अपने EEZ के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के **प्रबंधन और रक्षा** की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों का उपयोग स्थिर और जिम्मेदार तरीके से हो।
3. **आधिकारिक सीमा: 200 नॉटिकल मील** तक की यह सीमा एक कानूनी अधिकार क्षेत्र के रूप में समझी जाती है, जिसमें तटीय देश को अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत, किसी अन्य देश को बिना अनुमति के इन संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती।
4. **समुद्री जीवन और मछली पकड़ने का नियंत्रण: मछली पकड़ने** और अन्य समुद्री जीवन से संबंधित गतिविधियों पर राज्य को संप्रभु अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब है कि तटीय देश को अपनी EEZ में मछली पकड़ने के लिए **अनन्य अधिकार** होते हैं। साथ ही, राज्य इस क्षेत्र में मछली पकड़ने को नियंत्रित कर सकता है।

UPI धोखाधड़ी में वृद्धि
Rise in UPI frauds

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 2024 के वित्तीय वर्ष में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में **85% की वृद्धि** हुई है। वर्ष 2022-23 से लेकर अब तक UPI धोखाधड़ी की 2.7 मिलियन घटनाओं के माध्यम से लगभग **2,100 करोड़ रुपये** का नुकसान हुआ है। यह वृद्धि UPI के उपयोगकर्ताओं की संख्या और कुल लेन-देन में बढ़ोतरी के साथ मेल खाती है।

UPI धोखाधड़ी के प्रकार:

1. **फ़िशिंग हमले:** यह सबसे आम धोखाधड़ी का तरीका है, जिसमें साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए फ़िशिंग ईमेल और संदेश का इस्तेमाल करते हैं।
2. **मैलवेयर हमले:** स्मार्टफोन पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के माध्यम से UPI लेन-देन को खतरे में डालने वाले हमले।
3. **सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी:** धोखेबाज उपयोगकर्ता के विश्वास का फायदा उठाते हैं और उन्हें जल्दी या भय के आधार पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4. **विशिंग/वॉयस फ़िशिंग:** यहां धोखेबाज बैंक अधिकारी या UPI सेवा प्रदाता होने का दिखावा करते हुए नकली कॉल करते हैं।

UPI और डिजिटल लेनदेन की वृद्धि :

- वित्त वर्ष 2024 में, UPI ने 200 ट्रिलियन रुपये के कुल मूल्य के साथ **131.12 बिलियन लेन-देन** संसाधित किए हैं। वर्तमान में, UPI का उपयोग **400 मिलियन** से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है।
- आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में वित्तीय धोखाधड़ी में **166% की वृद्धि** हो सकती है।

डिजिटल लेन-देन और वित्तीय धोखाधड़ी की चुनौतियाँ:

1. **साइबर सुरक्षा:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी का **मूल्य 1.25 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच चुका है।
2. **तृतीय पक्ष जोखिम:** इंटरनेट प्लेटफार्मों या डिजिटल बैंकिंग समाधानों से उत्पन्न होने वाले जोखिम।
3. **डिजिटल निरक्षरता:** भारत में शहरी क्षेत्रों में **37.1% लोग इंटरनेट** का उपयोग करने में सक्षम हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या सिर्फ 13% है।
4. **अन्य चुनौतियाँ:** सीमित डिजिटल अवसंरचना और अंतर-संचालन समस्याएँ भी एक बड़ी चुनौती बनती हैं।

पीएम वाणी योजना (PM-WANI)

पीएम-वाणी योजना भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है, जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। यह खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

पीएम वाणी योजना क्या है?

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI) एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। इस योजना के तहत इंटरनेट सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए छोटे और स्थानीय व्यवसायों को वाई-फाई प्रदान करने का अवसर दिया गया है।

PM-WANI नेटवर्क का उपयोग कैसे करें?

उपयोगकर्ता एक ऐप डाउनलोड करते हैं, जो उनके पास उपलब्ध वाई-फाई नेटवर्क को दिखाता है। वे एक हॉटस्पॉट चुन सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। जब तक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता, वे सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

PM-WANI इकोसिस्टम: PM-WANI सिस्टम चार प्रमुख घटकों से बना है:

1. **पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO):** वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और इंटरनेट प्रदान करने की जिम्मेदारी।
2. **पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA):** PDO के लिए प्राधिकरण और लेखा सेवाएं।
3. **ऐप प्रदाता:** उपयोगकर्ताओं को आस-पास के **वाई-फाई हॉटस्पॉट** ढूंढने में मदद करने वाले ऐप्स।
4. **केंद्रीय रजिस्ट्री:** C-DoT द्वारा प्रबंधित, **यह PDO, PDOA और ऐप** प्रदाताओं का रिकॉर्ड रखती है।

PM-WANI के लाभ:

- **इंटरनेट की पहुँच:** इंटरनेट को सस्ते और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलती है, जिससे देश का डिजिटल विकास तेज़ी से हो सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है।
- **व्यवसायों का समर्थन:** यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने का अवसर देती है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
- **किफायती इंटरनेट:** यह योजना वंचित वर्गों को सस्ती इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है।

उच्च सागर संधि (BBNJ)
High Seas Treaty (BBNJ)

हाल ही में भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2024 को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते या उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए।

क्या है उच्च सागर?

- उच्च सागर, वे महासागरीय क्षेत्र हैं जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, यानी यह प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) से परे होते हैं।
- यह **महासागरीय क्षेत्र समुद्र की सतह** का **65% और पृथ्वी का 43% हिस्सा** बनाते हैं।
- उच्च समुद्र अंतरराष्ट्रीय जल-क्षेत्र का हिस्सा होते हैं और इनका कोई राष्ट्रीय स्वामित्व नहीं होता, इस कारण इनकी सुरक्षा वैश्विक जिम्मेदारी होती है।

उच्च सागर का महत्व:

- महासागर, **3 अरब लोगों** के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत और **90% माल ढुलाई** के लिए जिम्मेदार हैं।
- यह गहरे समुद्र तल में खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार रखते हैं, जो उभरती तकनीकों के लिए आवश्यक होते हैं।
- **महासागर 50%** से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और मानव गतिविधियों से उत्पन्न CO2 का 25% अवशोषित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियम स्थापित करती है।
- UNCLOS का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है और विवादों का समाधान करना है।
- भारत सहित **169 देशों और यूरोपीय संघ ने UNCLOS** पर हस्ताक्षर किए हैं।

उच्च सागर संधि (BBNJ) क्या है?

- यह संधि उच्च समुद्र में सभी मानवीय गतिविधियों को विनियमित करती है ताकि महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और उनके लाभों को देशों के बीच समान रूप से साझा किया जा सके।
- इस संधि का उद्देश्य समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का सीमांकन, महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया शुरू करना है।
- यह संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, जिसे अब तक 105 देशों ने हस्ताक्षरित किया है।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री नीतियों के तहत उच्च सागर संधि का पालन भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकता है।

रेंगमा नागा जनजाति
Rengma Naga Tribe

हाल ही में रेंगमा नागा जनजाति ने **नागालैंड** के **सेमिन्यु आरएसए मैदान** में **नगाडा उत्सव-सह-मिनी हॉर्नबिल महोत्सव** का दो दिवसीय समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस समारोह में जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएँ, और त्योहारों की महत्ता को उजागर किया गया।

रेंगमा नागा जनजाति के बारे में:

1. **जातीय समूह और स्थान:**
   - रेंगमा नागा जनजाति एक **तिब्बती-बर्मन जातीय समूह** है जो मुख्यत: **नागालैंड** और **असम** के कुछ हिस्सों में निवास करती है।
   - भारत की **2011 की जनगणना** के अनुसार, नागालैंड में रेंगमाओं की जनसंख्या **62,951** है, जबकि असम में यह संख्या लगभग **22,000** है।
   - रेंगमा लोग खुद को **"नजोंग"** या **"इंजांग"** के नाम से बुलाते हैं।
   - ये लोग **मंगोलॉयड नस्ल** से संबंधित हैं और उनका इतिहास दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है।
2. **इतिहास:**
   - रेंगमा नागा जनजाति का मानना है कि वे **दक्षिण-पूर्व एशिया** से **युन्नान पर्वत श्रृंखलाओं** के माध्यम से **ऊपरी बर्मा** क्षेत्र में बस गए थे।
   - रेंगमा समाज में **दास प्रथा** प्रचलित थी, और दासों को आमतौर पर **मेणुगेतेन्यू** और **इत् साकेसा** नामों से जाना जाता था। हालांकि, जब अंग्रेज नागा क्षेत्र में पहुंचे, तो यह प्रथा कम होती जा रही थी, और माना जाता है कि उस समय कोई भी रेंगमा गुलाम नहीं था।

अर्थव्यवस्था:

- रेंगमा जनजाति मुख्यत: **कृषक** होती है और अपनी जीवनशैली के लिए **झूम खेती** (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) और **गीली खेती** का अभ्यास करती है।
- **धान** उनकी मुख्य फसल है, जिसके साथ वे मौसमी फसलें और फल भी उगाते हैं।
- कृषि के अलावा, वे स्थानीय स्तर पर अन्य कुटीर उद्योगों में भी सक्रिय होते हैं।

धर्म और आस्था:

- परंपरागत रूप से रेंगमा लोग **अलौकिक प्राणियों** और **प्राकृतिक शक्तियों** की पूजा करते थे।
- वर्तमान में, अधिकांश रेंगमा लोग **ईसाई धर्म** को अपना चुके हैं, और उनके धार्मिक जीवन में **ईसाई विश्वास** की महत्वपूर्ण भूमिका है।

त्योहार:

- रेंगमा जनजाति कई मौसमी त्योहारों का आयोजन करती है, जो उनकी **कृषि परंपराओं** से संबंधित होते हैं।
- **"नगाडा"** रेंगमा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विशेष रूप से **कृषि और उर्वरता** से जुड़ा हुआ होता है। इस त्योहार के दौरान जनजाति के लोग विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान, नृत्य, संगीत, और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

ओपेक+ क्या हैं?
What is OPEC+?

हाल ही में, अमेरिकी गैसोलीन स्टॉक आपूर्ति में अप्रत्याशित उछाल और उत्पादन नीति पर ओपेक+ की बैठक में देरी के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं।

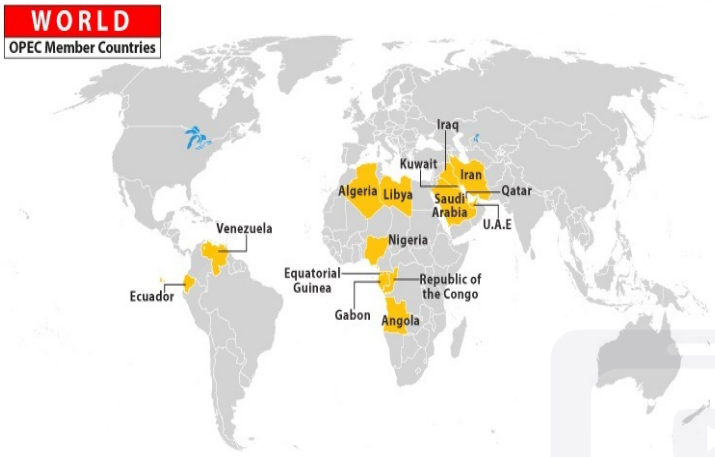

ओपेक+ के बारे में:

- **यह 22 तेल निर्यातक देशों** का समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचा जाए, इसका निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए **कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना है।**
- **उत्पत्ति:** ये राष्ट्र 2016 के अंत में एक समझौते पर पहुंचे थे, "नियमित और टिकाऊ आधार पर ओपेक और गैर-ओपेक उत्पादक देशों के बीच सहयोग के लिए एक ढांचे को संस्थागत बनाने के लिए।"
- इस समूह के मूल में **ओपेक** (तेल निर्यातक देशों का संगठन) के 12 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देश हैं।
- **सदस्य:** इसमें 12 ओपेक देश तथा अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और ओमान शामिल हैं।

ओपेक क्या है?

- **यह तेल निर्यातक देशों** का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है ।
- **गठन:** इसकी **स्थापना 1960 में** पांच संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके **12 सदस्य हैं,** जिनमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- **अंगोला ने 1 जनवरी 2024** से अपनी सदस्यता वापस ले ली
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया।

'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024' रिपोर्ट
'State of Tax Justice 2024' report

टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024' रिपोर्ट ने वैश्विक कर दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं और सुधारों पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट कर नुकसान के वित्तीय प्रभावों, जिम्मेदार देशों और संभावित समाधान की दिशा में नीतिगत सिफारिशों को रेखांकित करती है।

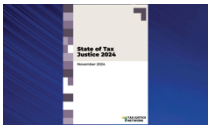

रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ:

1. **कुल नुकसान**:
   - वैश्विक कर दुरुपयोग से **492 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का वार्षिक नुकसान।
   - इसमें से:
     - **347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ को विदेश में स्थानांतरित करने से।
     - **144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान धनी व्यक्तियों द्वारा संपत्ति छुपाने के कारण।
2. **जिम्मेदार देश**:
   - वैश्विक कर नुकसान का लगभग **43%** आठ OECD सदस्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, और अमेरिका) के कारण होता है।
   - ये देश **संयुक्त राष्ट्र कर समझौते** का विरोध कर रहे हैं।
3. **प्रभाव का वितरण**:
   - **वैश्विक उत्तर** के देश निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक कर राजस्व खोते हैं।
   - **वैश्विक दक्षिण** के देश अपने कर राजस्व के हिस्से के रूप में अधिक नुकसान सहते हैं।
4. **परिणाम**:
   - सार्वजनिक सेवाओं में कटौती।
   - देशों के बीच और भीतर असमानता में वृद्धि।
   - घरेलू व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव।

नीतिगत सिफारिशें:

1. **संयुक्त राष्ट्र कर सम्मेलन**:
   - समावेशी वैश्विक कर नियमों की स्थापना के लिए।
   - सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए।
   - प्रगतिशील कराधान को बढ़ावा देने के लिए।
2. **अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग**: **2025-2027** तक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर बातचीत की सिफारिश।
3. **अतिरिक्त लाभ और संपत्ति कर**:
   - आर्थिक असमानता कम करने और समाज में समान योगदान सुनिश्चित करने के लिए।
   - एकाधिकार शक्ति को सीमित करने के लिए।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

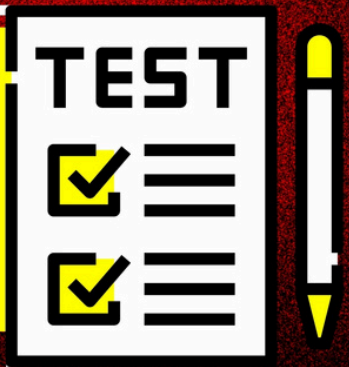

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY POLITY

1499 RS

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !